सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

आज दिनांक 27/6/19 को 3:00 बजे अपराह्न में माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्षों तथा शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

उपस्थिति –

Circulate among the HODs of the depts.
28/06/19

1.	माननीय कुलपति महोदय		
2.	माननीय प्रतिकुलपति महोदय	–	अध्यक्ष
3.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	–	सदस्य
4.	विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग	–	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग	–	सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग	–	सदस्य
7.	विभागाध्यक्ष जन्तुविज्ञान विभाग	–	सदस्य
8.	विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग	–	सदस्य
9.	विभागाध्यक्ष संताली विभाग	–	सदस्य
10.	विभागाध्यक्ष दर्शशास्त्र विभाग	–	सदस्य
11.	विभागाध्यक्ष रसायनशास्त्र विभाग	–	सदस्य
12.	विभागाध्यक्ष भौतिकी विभाग	–	सदस्य
13.	डॉ. विजय कुमार, राजनीतिशास्त्र विभाग	–	सदस्य
14.	श्रीमती मेरी मारगेट टुडू, कार्यक्रम समन्वयक	–	सदस्य

सत्र 2019–22 स्नातक सेम–1 (CBCS) में विभिन्न विषयों में नामांकन हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या सुनिश्चित की गयी है जो इस प्रकार है –

कला के विभिन्न विषयों में अधिकतम नामांकन 300 (तीन सौ)

विज्ञान के विषयों में 150 (एक सौ पचास)

गणित विषय में 200 (दो सौ)

भूगोल विषय में 200 (दो सौ)

कामर्स विषय में 300 (तीन सौ)

विभिन्न विषयों में नामांकन Section आधारित होगा और निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों का नामांकन होने पर उन छात्रों की परीक्षा नहीं ली जायगी।

जिन विषयों में छात्रों ने अधिक संख्या में आवेदन दिया है उसे विषय बदलकर दूसरे विषय में नामांकन हेतु प्राचार्य छात्रों को प्रेरित करेंगे।

छात्रों का नामांकन अगर महाविद्यालय में सुविधा उपलब्ध है तो द्वितीय पाली में लिया जा सकता है। छात्रों को यह जानकारी प्राचार्य देंगे कि उनका वर्ग द्वितीय पाली में होगा तथा परीक्षा प्रपत्र भी द्वितीय पाली के तहत भरा जायगा।

जिन विषयों में निर्धारित संख्या से कम आवेदन दिया है उनका नामांकन निर्धारित तिथि के अंदर लिया जाय।

नामांकन प्रक्रिया –

जिन विषयों में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन दिया है उनमें झारखंड सरकार के नामांकन नियमावली को अक्षरशः पालन करते हुए नामांकन सूची निर्गत करना है। इस संबंध में कोई भी दुविधा होने पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण से दूरभाष पर किसी भी समय सम्पर्क किया जा सकता है। नामांकन नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य के बाहर के आवेदकों के नामांकन का नियम –

1. झारखंड राज्य से बाहर के छात्रों का नामांकन तभी होगा जब वे सामान्य कोटि के छात्रों के साथ मेधा सूची में आयेगें। राज्य के बाहर के छात्रों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
2. किसी भी स्थिति में बाह्य छात्रों का प्रतिशत 15% से अधिक नहीं होगा। अगर नामांकित छात्रों की संख्या के 15% से ज्यादा राज्य के बाहर के छात्रों का नामांकन होने पर विश्वविद्यालय उनकी परीक्षा आदि नहीं लेगी तथा उसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन जिम्मेवार होगा।

पंजीयन –

नामांकन के साथ–साथ छात्रों का पंजीयन ऑनलाइन सुनिश्चित करना प्राचार्य का दायित्व होगा। नामांकन और पंजीयन की सारी प्रक्रिया विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। नामांकन के साथ जिन छात्रों का पंजीयन नहीं हो पायेगा उनको परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

Migration Certificate के अभाव में या Migration Certificate के समय मांगने पर प्राचार्य उस छात्र के नामांकन हेतु समय विस्तार दे सकते है। जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि के पहले होगा।

छात्र Hard copy महाविद्यालय में जमा करेगें जिसे प्राचार्य विश्वविद्यालय को भेजेगें।

निर्णय लिया गया कि इसकी प्रति सभी प्राचार्यों को आरक्षण नियमावली के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाय। छात्रों का नामांकन (CBSC) नियमावली के अनुसार लिया जायेगा।

27/6/19
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कुलपति 27/6/19

ज्ञापांक – SKMU/R-G/362/19

दिनांक – 27/06/2019

प्रतिलिपि –

1. विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/प्रभारी प्राचार्य को इस निर्देश के साथ कि लिये गये निर्णय का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित करें।

for 27/6/19
कुलसचिव

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :– राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में निहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके।

2. इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन में अनुसूचित जाति हेतु 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 26 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) हेतु 14 प्रतिशत कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. भारत का संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, जो संविधान की धारा 15(4) एवं 15(5) से आच्छादित न हों, के लिए राज्य सरकार को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) के नामांकन में कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रदत्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

4. "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय–समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा

वर्ग (अनुसूची 1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. राज्य सरकार ने संविधान के उक्त संशोधन के आलोक में राज्य स्तरीय सरकारी / अर्द्धसरकारी व्यावसायिक / तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

6. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 को संशोधित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी / अर्द्धसरकारी व्यावसायिक / तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जा सकेगा; यथा :–

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	–	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	–	60 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी :–

(क)	अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	–	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	–	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)–		10 प्रतिशत
		कुल	60 प्रतिशत

7. **नामांकन में आरक्षण का विनियमन**:–

(1) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा समय–समय पर संशोधन आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा।

2.2 Ne
the
(i)

(2) यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जायेगा :–

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :–

(i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ii) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ग) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(3) यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उन सीटों को सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

8. आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध।

9. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ०नी० 04–02/2019 का० 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि – नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–02 / 2019 का०– 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

Lailan 15/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–02 / 2019 का०– 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lailan 15/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।